

371



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 7, 2013/आश्विन 15, 1935

No. 508]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2013/ASVINA 15, 1935

गृह मंत्रालय

(पुलिस-II प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 673(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 34) क्री धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, महा निरीक्षक, उप महा निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लायू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
1	2	3	4
1. महानिरीक्षक	4* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसंधिवीय	वेतन बैंड-4 37400-67000 ₹ + ग्रेड वेतन 10000 ₹.

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6
चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11
लागू नहीं होता	(क) पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा। (ख) पचहत्तर प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<u>प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति</u> : (क) भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित हैं ; या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 4, (37,400-67,000 ₹) + ग्रेड वेतन 8,900 ₹ के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है ; और

	<p>(iii) जो आपराधिक मामलों या अन्वेषण के पर्यवेक्षण का, या प्रतिआंतकवाद क्षेत्र में आसूचना को लेने या संग्रहण करने में पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1:- विभागीय उप महानिरीक्षक, जिसने वेतन बैंड 4, (37,400-67,000 रु) + ग्रेड वेतन 8,900 रु की श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, को बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार में लिया जाएगा और विभागीय अभ्यर्थी के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होने की दशा में, उसे प्रोन्नति के रूप में भरा समझा जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 2 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 5 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : (क) भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन पुलिस महा निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित हैं ।</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जो वेतन बैंड 4, (37,400-67,000 रु) + ग्रेड वेतन 8,900 रु के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(iii) जो आपराधिक मामलों या अन्वेषण के पर्यवेक्षण का, या प्रतिआंतकवाद क्षेत्र में आसूचना को लेने या संग्रहण करने में पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1:- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, जो समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 :- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, जो</p>
--	---

	<p>समय-समय पर यथासंशोधित, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० आई-21023/21/97-आईपीएस III, तारीख 6 अप्रैल, 2000 में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति से संबंधित अनुदेशों या आदेशों की शर्तों से विनियमित होंगे।</p> <p>टिप्पण 3 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 5 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 6 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
12		13	
लागू नहीं होता		पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
1	2	3	4
2. उप महानिरीक्षक	8* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड - 4 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8900 रु.
5	6		
चयन	लागू नहीं होता		

7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	<p>(क) पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।</p> <p>(ख) पचासी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।</p>	<p>प्रोन्नति : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में पुलिस अधीक्षक, जिसने वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 ₹) + ग्रेड वेतन 7,600 ₹ में छः वर्ष नियमित सेवा की है ।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्र में पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर पर पद धारण करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची में से; या</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 ₹) + ग्रेड वेतन 8,700 ₹ के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हैं ; या</p> <p>(iii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 ₹) + ग्रेड वेतन 7,600 ₹ या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(iv) जिसे आपराधिक मामलों को लेने या अन्वेषण के पर्यवेक्षण का, या प्रतिआतकवाद क्षेत्र में आसूचना को लेने या संग्रहण करने का बारह वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>टिप्पण 1:- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, जो समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते लेंगे ।</p>

	<p>टिप्पण 2 :- आरक्षण पत्र पर सेवा प्रदाताओं की प्रतिनियुक्ति, जो राज्य सरकार पर परामर्शपूर्ण, गृह मंत्रालय के कार्यालय जापन सं० प्र०/21023/21/97 आदेशों पर की, तारीख 8 अप्रैल, 2000 में अंतर्गत प्रतिनियुक्ति से संबंधित अनुवर्षों या आवर्षों की शर्तों से विनिवारित होंगे।</p> <p>टिप्पण 3 :- पाठक प्रवर्ग में एक विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सोची संज्ञित में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जान के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जान के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के तृती या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउंट वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 5 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 6 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	--

12	13
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक/विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य 	<p>पदों को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

1	2	3	4
3. पुलिस अधीक्षक	20* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 7600 रु.

5	6
चयन	लागू नहीं होता

7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	(क) पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) पचासी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	<p>प्रोन्नति : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में अपर पुलिस अधीक्षक, जिसने वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 6,600 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में ऐसा अपर पुलिस अधीक्षक, वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 6,600 रु. में और उप पुलिस अधीक्षक, वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 5,400 रु. में अपर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के पदों पर दस वर्ष संयुक्त नियमित सेवा की है और कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में की हो।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकांरी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन : (क) केन्द्र में पुलिस अधीक्षक के स्तर पर पद धारण करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची में से; या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे</p>

		<p>अधिकारी :-</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 ₹) + ग्रेड वेतन 6,600 ₹ या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(iv) जिसे आपराधिक मामलों को लेने या अन्वेषण के पर्यवेक्षण का, या प्रतिआंतकवाद क्षेत्र में आसूचना को लेने या संग्रहण करने का दस वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>टिप्पण 1 :- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, जो समय-समय पर यथासंशोधित, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० आई-21023/21/97-आईपीएस III, तारीख 6 अप्रैल, 2000 में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति से संबंधित अनुदेशों या आदेशों की शर्तों से विनियमित होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 :- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, जो समय समय पर यथासंशोधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे ।</p> <p>टिप्पण 3 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 5 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 6 :- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>
--	--	---

12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक/विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य 4. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4
4. अपर पुलिस अधीक्षक	12* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 6600 रु.

5	6
चयन	लागू नहीं होता

7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	(क) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में उप पुलिस अधीक्षक, जिसने वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 5,400 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और ऐसे अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संचालित अन्वेषण या आसूचना पर चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की

4297 GI/13-3

		<p>सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3, (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री ; और</p> <p>(ii) जिसे आपराधिक मामलों के अन्वेषण का, या आसूचना कार्य का जिसमें प्रतिआंतकवाद संचालन भी सम्मिलित है या प्रतिआंतकवाद में शिक्षा प्रशिक्षण करने का पांच वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>
--	--	--

12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - अध्यक्ष	
2. महानिदेशक/विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	
3. महानिरीक्षक (प्रशा0), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	
4. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	

1	2	3	4
5. उप पुलिस अधीक्षक	32* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 (15,600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 5400 रु.

5	6
चयन	लागू नहीं होता

7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11
प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(क) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा।	प्रोन्नति : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में निरीक्षक, जिसने वेतन बैंड 2, (9,300-34,800 रु.) + ग्रेड वेतन 4,600 रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और ऐसे अधिकारी, जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संचालित अन्वेषण या आसूचना पर चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसकें द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की

	<p>सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 2, (9,300-34,800 रु.) + ग्रेड वेतन 4,800 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(iii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 2,(9,300-34,800 रु.) + ग्रेड वेतन 4,600 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री ; और</p> <p>(ii) जिसे आपराधिक मामलों के अन्वेषण का, या आसूचना कार्य का जिसमें प्रतिआंतकवाद संचालन भी सम्मिलित है या प्रतिआंतकवाद में शिक्षा प्रशिक्षण करने का तीन वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>
--	---

12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	- सदस्य
3. महानिदेशक/विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण	- सदस्य
4. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण	- सदस्य

[फा. सं. ई-13(1)/006/2012/रा.अ.अ.(पीटी-6)]

हरीश चंद्र. उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Police-II Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2013

G.S.R. 673(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Inspector General, Deputy Inspector General, Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay band, grade pay or pay scale.**— The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible to be appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4297 GI/13-4

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Inspector General	*04 (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4, (Rs. 37,400-67,000/-) with Grade Pay Rs. 10,000/-.	Selection post	Not applicable.	Not applicable

Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion / by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation or absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable	Twenty five percent by Deputation/ promotion. Seventy five percent by deputation.	Deputation/Promotion: (a) Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Inspector General of Police under the Government of India; or (b) Officers of the Central Government or the State Government or Union territories : (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

			<p>Pay Band-4, (Rs. 37,400-67,000/-) with Grade Pay of Rs.8,900; and</p> <p>(iii) having fifteen years' experience in handling or supervising investigation of criminal cases, or handling or supervising collection of intelligence in the area of counter terrorism.</p> <p>NOTE 1.- The departmental Deputy Inspector General with two years' regular service in the grade in pay band-4 (Rs. 37,400-67,000) and grade pay of Rs. 8900 shall also be considered along with outsiders and in case, the departmental candidate is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>NOTE 2.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>NOTE 3.- Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>NOTE 4.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>NOTE 5.- For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation</p> <p>(a) Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Inspector General of Police under the Government of India; or</p> <p>(b) Officers of the Central Government or the State Government or Union territories :-</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-4, (Rs. 37,400-67,000/-) with Grade Pay of Rs.8,900/- ; and</p> <p>(iii) having fifteen years' experience in handling/ supervising investigation of criminal cases, or handling/ supervising collection of intelligence in the area of counter terrorism.</p> <p>NOTE 1.- Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 as amended from time to time.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>NOTE 2.- Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the instructions orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. I-21023/21/97-IPS III dated the 6th April, 2000 amended from time to time.</p> <p>NOTE 3.-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>NOTE 4.- Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.</p> <p>NOTE 5.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>NOTE 6.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be service</p>	
--	--	--	--	--

4297 GI/13-5

			rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Deputy Inspector General	*08 (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group - 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4(Rs. 37,400-67,000) with Grade Pay of Rs. 8,900	Selection post.	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Fifteen percent by promotion failing which by deputation. Eighty five percent by deputation.	Promotion - Superintendent of Police in National Investigation Agency with six years regular service in the Pay Band-3, (Rs. 15,600 - 39,100) with Grade Pay of Rs. 7600. NOTE 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. NOTE 2.- For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a	Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman. 2. Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member. 3. Director General / Special Director General/ Additional Director General, National Investigation Agency - Member. 4. Inspector General (Admin), National Investigation Agency - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of posts.

			<p>regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation</p> <p>(a) Officers of the Indian Police Service empanelled for holding Deputy Inspector General of Police level posts at the centre; or</p> <p>(b) Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories :</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs. 15,600 - 39,100) with Grade Pay of Rs. 8700; or</p> <p>(iii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3, (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre/ department; and</p> <p>(iv) twelve years' experience in handling or supervising investigation of criminal cases, or handling or supervising collection of intelligence in the area of counter terrorism.</p> <p>NOTE 1- Indian Police Service Officers shall</p>	
--	--	--	--	--

			<p>draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 as amended from time to time.</p> <p>NOTE 2- Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. I-21023/21/97-IPS III dated the 6th April, 2000 and as amended from time to time.</p> <p>NOTE 3.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>NOTE 4.- Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.</p> <p>NOTE 5.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>NOTE 6.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has</p>		
--	--	--	---	--	--

			been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Superintendent of Police	*20 (2013) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group – 'A'. Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15,600 – 39,100) with Grade Pay of Rs. 7600	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Fifteen percent by promotion failing which by deputation. Eighty five percent by deputation/absorption	Promotion – Additional Superintendent of Police in National Investigation Agency with five years' regular service in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 6600 failing which Additional Superintendent of Police in National Investigation Agency service in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 6600 with combined regular service of ten years in the grades of Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police service in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 5400 and at least two years regular service as Additional Superintendent of Police. NOTE 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more	Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :- 1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission – Chairman. 2. Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Home Affairs – Member. 3. Director General/ Special Director* General/ Additional Director General, National Investigation Agency – Member. 4. Inspector General (Admin), National Investigation Agency – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up post.

4297 GI/13-6

			<p>than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>NOTE 2.- For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p>Deputation/Absorption</p> <p>(a) Officers of the Indian Police Service empanelled for holding Superintendent of Police level posts at the centre, or</p> <p>(b) Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories :</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(iii) ten years' experience in handling of cases of investigation of criminal cases, or intelligence work including counter terrorism operation or imparting training in counter terrorism.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>NOTE 1.— Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the instructions/orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. I-21023/ 21/97-IPS III dated the 6th April, 2000 and as amended from time to time.</p> <p>NOTE 2.—Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 as amended from time to time.</p> <p>NOTE 3.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>NOTE 4.— Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>NOTE 5.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>NOTE 6.— For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in</p>		
--	--	--	---	--	--

			the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Additional Superintendent of Police	*12 (2013) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group – 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15,600 – 39,100) with Grade Pay of Rs. 6600	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Forty per cent by promotion failing which by deputation. Sixty per cent by deputation / absorption.	Promotion – Deputy Superintendent of Police in National Investigation Agency with five years regular service in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 5400; and Such Officer should have successfully completed the four weeks training on Investigation and Intelligence Conducted by the National Investigation Agency. NOTE 1. -Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. NOTE 2. - For the purpose of computing minimum qualifying	Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Addl Secretary/ Joint Secretary, MHA – Member. 2. Director General/ Special Director General/ Additional Director General, National Investigation Agency – Member. 3. Inspector General (Admin.), National Investigation Agency – Member. 4. Inspector General, National Investigation Agency – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation/ absorption.

			<p>service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation/absorption: Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised university; and</p> <p>(ii) Five years' experience in handling of cases of investigation of criminal cases, or intelligence work including counter terrorism operations or imparting training in counter terrorism.</p> <p>NOTE 1.- The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>NOTE 2.- Period of deputation, including period of deputation in</p>		
--	--	--	---	--	--

4297 GZ/13-7

			<p>another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>NOTE 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>NOTE 4.- For the purpose of appointment on deputation / absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Deputy Superintendent of Police	32 * (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 5400	Selection post.	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years for promotees	Forty per cent by promotion failing which by deputation. Sixty per cent by deputation/ absorption.	Promotion: Inspector in National Investigation Agency with three years' regular service in the pay Band-2	Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

			<p>(Rs. 9300-34800) and Grade Pay Rs. 4600; and</p> <p>Such officer should have successfully completed the four weeks training on Investigation and Intelligence Conducted by the National Investigation Agency.</p> <p>NOTE 1.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>NOTE 2.- For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation/absorption</p> <p>Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories :</p> <p>(a) (i) holding</p>	<p>1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission – Chairman</p> <p>2. Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Home Affairs – Member.</p> <p>3. Director General / Special Director General/ Additional Director General, National Investigation Agency – Member.</p> <p>4. Inspector General (Admin), National Investigation Agency – Member.</p>	
--	--	--	--	---	--

4297 GI/13-8

			<p>analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised university; and</p> <p>(ii) three years' experience in handling of cases of investigation of criminal cases, or intelligence work including counter terrorism operations or imparting training in counter terrorism.</p> <p>Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>NOTE 2.— Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other</p>	
--	--	--	---	--

			<p>organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>NOTE 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>NOTE 4.- For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	---	--	--

[F. No. E-13(1)/006/2012/NIA(Pt-VI)]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.